



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 1190/डी.एड.सेल/2014

भोपाल, दिनांक 07/05/2014

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
विन्ध्या शिक्षा समिति कॉलेज,
प्लॉट नं.-52/3, ग्राम व पो. खैरी, तह. मण्डला
जिला-मण्डला (म.प्र.)-481661


संस्था कोड-74201

विषय:- डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2014-15 से मण्डल की नवीन संबद्धता बावत
----/ /----

एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक-WRC/WRCAPP965/189/MP/2013/107579 दिनांक 06.09.2013 एवं आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्यूकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 50 विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2014-15 से मण्डल की संबद्धता निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 276/12 (माँ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में संबंधित परीक्षा निकाय एवं राज्य सरकार को निम्नानुसार बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है तदनुसार मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा :- प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता एवं तदसंबंधी जारी प्रवेश नियम, परीक्षा संचालन से संबंधित नियम, संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने से संबंधित नियम अथवा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं मा.शि.मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी पाठ्यक्रम व संबद्धता संबंधी नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
- एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।
- मण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जिस पते पर मान्यता जारी की गई है वही पता मान्य किया जायेगा। संस्था के पते में परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य किया जायेगा जब संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा विधि अनुसार पते में परिवर्तन की अनुमति दी गई हो तथा तद संबंधी सूचना मण्डल को एन.सी.टी.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। संस्थाओं द्वारा बगैर एन.सी.टी.ई. की अनुमति के, स्वयं के स्तर से पते में परिवर्तन को मान्य नहीं किया जावेगा।

5. परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह संबद्धता प्राप्त संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि संस्थाओं द्वारा विधिवत् पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अतः संबद्धता प्राप्त संस्थाओं का भी यह दायित्व बनता है कि वे म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा मा.शि.मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ताओं को पूरा सहयोग प्रदान कर विधिवत् रूप से अपनी संस्थाओं का निरीक्षण करवाये अन्यथा की स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता को समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

भोपाल दिनांक 07/05/2014

पृ. क्रमांक / 1191 / डी.एड. / 2014

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, मण्डला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मण्डला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
वर्ष 2025-26 हेतु डी-ईएल-एड की संबद्धता नवीनीकरण प्राप्त संस्थाएँ

SNO.	SCHOOL CODE	SCHOOL NAME/ADDRESS	NO.OF SEATS AS PER NCTE SESSION	REMARK
DISTRICT: MANDLA				
1	74101	GOVT. DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING, MANDLA	100 2025-26	संबद्धता नवीनीकरण
2	74102	GOVT. DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING, SIJHOURA MANDLA,	50 2025-26	संबद्धता नवीनीकरण
3	74201	VINDHYA SHIKSHA SAMITI COLLEGE, KHAIRI, MANDLA	100 2025-26 TO 2027-28	संबद्धता नवीनीकरण
4	74202	MAA REWATI COLLEGE OF EDUCATION, KHAIRI MANDLA PLOT -340/1KH/2, KHAIRI MANDLA-481661	100 2025-26 TO 2027-28	संबद्धता नवीनीकरण
DISTRICT WISE NO. OF SCHOOLS 4				